INTELLIGENTSIA
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (2)
April - June, 2026
Intelligentsia International Journal Of Multidisciplinary Research

झारखण्ड राज्य में खाद्य सुरक्षा: एक समीक्षा

डॉ. कंचन माला सिन्हा
पीएचडी, गृह विज्ञान विभाग
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय,धनबाद

सार

खाद्य सुरक्षा किसी भी लोक-कल्याणकारी राज्य की रीढ़ होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मानपूर्वक भोजन का अधिकार भी अंतर्निहित है। झारखण्ड खनिज संसाधनों के मामले में देश का समृद्धतम राज्य होने के बावजूद, अपनी 3.3 करोड़ की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सतत और पोषणयुक्त भोजन सुनिश्चित करने में संघर्ष कर रहा है। राज्य की लगभग 76 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बहुलता है। ये वर्ग अपनी आजीविका के लिए वर्षा-आधारित पारंपरिक कृषि और वनोपज पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आजीविका के साधनों के प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है. इससे जुड़ें विभिन्न पक्षों के गहन समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन, 'झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना' (हरा राशन कार्ड), 'मुख्यमंत्री दाल-भात योजना' (गुरुजी रसोई) तथा आदिम जनजातियों के लिए संचालित 'डाकिया योजना' जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने राज्य में भुखमरी की भयावहता को कम करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संरचनात्मक रिसाव, भंडारण अवसंरचना का अभाव, जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा, और केवल 'कैलोरी-सुरक्षा' (चावल-गेहूं) पर ध्यान केंद्रित होने के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आज भी राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आलेख के अंत में विकेंद्रीकृत खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय मोटे अनाजों (मडुआ, बाजरा) के समावेश और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

कुंजी शब्द - खाद्य सुरक्षा , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 , सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रकाशन समयरेखा:
मूल पाण्डुलिपि प्राप्त – 8 अप्रैल, 2026; सहकर्मी समीक्षण पूर्ण – 10 अप्रैल, 2026; संशोधित पाण्डुलिपि प्राप्त – 11 अप्रैल, 2026; स्वीकृत एवं प्रकाशित – 12 अप्रैल, 2026
अनुशंसित संदर्भ
सिन्हा, के. एम. (2026). झारखण्ड राज्य में खाद्य सुरक्षा: एक समीक्षा. इंटेलिजेंटसिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2(2), 24 –32.

❖ अध्ययन की पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके किया गया था। इस नए राज्य की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यहाँ के स्थानीय संसाधनों का लाभ यहाँ की मूल निवासी, विशेषकर जनजातीय आबादी तक पहुंचाना और एक समतामूलक समाज का निर्माण करना था। भौगोलिक दृष्टिकोण से, झारखण्ड छोटानागपुर के पठार पर स्थित है, जिसकी भूमि उबड़-खाबड़, पथरीली और जंगलों से आच्छादित है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 79,716 वर्ग किलोमीटर है। प्रचुर मात्रा में कोयला, लोहा, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज होने के कारण इसे 'भारत का रुहर' कहा जाता है **(चटर्जी, 1996),** लेकिन इसके समानांतर एक विडंबना यह भी है कि यहाँ 'संसाधनों के अभिशाप' की स्थिति देखी जाती है **(दास, 1998),** जहाँ औद्योगिक विकास तो हुआ लेकिन ग्रामीण और जनजातीय आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ती चली गई।

ऐतिहासिक रूप से, झारखण्ड की अर्थव्यवस्था और समाज पूरी तरह से प्रकृति और पारंपरिक कृषि पर आश्रित रहे हैं। यहाँ की लगभग 26.2 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिनमें 8 अत्यंत पिछड़ी आदिम जनजातियां शामिल हैं। इन समुदायों की जीवनशैली जल, जंगल और जमीन के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। औद्योगीकरण और खनन गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जिसने पारंपरिक खाद्य प्रणालियों और वन-आधारित खाद्य सुरक्षा चक्र को छिन्न-भिन्न कर दिया। कंद-मूल, महुआ, मशरूम और स्थानीय अनाजों (जैसे गोंदली, मडुआ) पर आधारित उनकी पारंपरिक और पोषण-युक्त आहार पद्धति धीरे-धीरे समाप्त हो गई और वे बाजार-आधारित खाद्यान्न प्रणाली पर निर्भर हो गए।

INTELLIGENTSIA
International Journal of Multidisciplinary Research

आर्थिक मोर्चे पर, झारखण्ड की कृषि प्रणाली संरचनात्मक कमजोरियों से ग्रस्त है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 12 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आता है। शेष पूरी कृषि व्यवस्था दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मिजाज पर निर्भर है (सिंह, 202)। धान यहाँ की मुख्य फसल है, जो साल में केवल एक बार (खरीफ के मौसम में) उगाई जाती है। रबी फसलों (गेहूं, दलहन) का उत्पादन नगण्य है। भूमि का छोटा स्वामित्व और मृदा में अम्लीयता की अधिकता के कारण उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इस कारण, झारखण्ड एक 'खाद्यान्न घाटे वाला राज्य' रहा है, जिसे अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल और पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।

सामाजिक संकेतकों की बात करें तो, नीति आयोग के प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, झारखण्ड की लगभग 42.16 प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी, जो हालांकि हाल के वर्षों में घटकर लगभग 28.8 प्रतिशत पर आई है, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है **(गुप्ता, 2026)**। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़े बताते हैं कि झारखण्ड में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 39.4% बच्चे 'स्टंटिंग' (उम्र के अनुसार कम लंबाई) और 22.4% बच्चे 'वेस्टिंग' (लंबाई के अनुसार कम वजन) का शिकार हैं। इसके अलावा, 15 से 49 वर्ष की लगभग 65.3% महिलाएं और युवतियां गंभीर रूप से 'एनीमिक' (रक्तअल्पता की शिकार) हैं।

उपरोक्त तथ्य इस बात की गवाही देती है कि झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक अस्तित्वगत मानवीय संकट है। राज्य में बार-बार पड़ने वाला सूखा,

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

भुखमरी से होने वाली मौतों की कथित मीडिया रिपोर्टें और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन यह साबित करता है कि पूर्ववर्ती विकास मॉडलों में खाद्य सुरक्षा के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को सही ढंग से एकीकृत नहीं किया जा सका। अतः, इस पृष्ठभूमि में झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न नीतिगत पहलों, कानूनी प्रावधानों और उनकी वास्तविक सीमाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना अत्यंत समीचीन और प्रासंगिक है।

❖ अध्ययन के उद्देश्य एवं विधि

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन के दो मुख्य उद्देश्य हैं-

1. झारखण्ड राज्य में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पक्षों का बहुआयामी अध्ययन करना
2. नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना

यह अध्ययन पूरी तरह से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों और सूचनाओं को प्रामाणिक बनाने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों, झारखण्ड सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, नीति आयोग के स्वास्थ्य और गरीबी सूचकांकों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तुलनात्मक आंकड़ों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों का गहन सहारा लिया गया है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

❖ झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता

इसके पीछे कई कारण हैं इन कारणों को निम्नलिखित प्रमुख समूहों के अंतर्गत रख कर समझा जा सकता है -

1. व्यापक गरीबी, सामाजिक असमानता और पोषण सुरक्षा का संकट

झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ की व्यापक बहुआयामी गरीबी और सामाजिक-आर्थिक विषमता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल पेट भरना नहीं, बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक कैलोरी और पोषण प्रदान करना है। झारखण्ड की सामाजिक संरचना में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत से अधिक है। ऐतिहासिक कारणों से ये समुदाय भूमिहीनता, अशिक्षा और आर्थिक संसाधनों के अभाव से पीड़ित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसरों की कमी के कारण उनकी क्रय शक्ति अत्यंत न्यून है। बाजार में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद, ये वर्ग इसे अपनी निजी आय से खरीदने में असमर्थ हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुपोषण और 'प्रच्छन्न भूख' की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ मानव संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए राज्य द्वारा पोषित एक सुदृढ़ और व्यापक खाद्य सुरक्षा कवच की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना राज्य को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना असंभव है **(कुमार एवं बानिक, 2020)**।

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (2)
April - June, 2026

2. वर्षा-आधारित पारंपरिक कृषि, भौगोलिक विषमता और जलवायु परिवर्तन

दूसरा महत्वपूर्ण कारण झारखण्ड की कृषि व्यवस्था की संरचनात्मक सीमाएं और भौगोलिक बनावट है। झारखण्ड एक पठारी राज्य है, जहाँ की केवल 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जाती है। सिंचाई की सुनिश्चित सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ की खेती पूरी तरह से मॉनसून के जुए जैसी है। राज्य में हर तीसरे या चौथे साल कम वर्षा या सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है **(घोस एवं अन्य, 2014)**। जब कृषि क्षेत्र विफल होता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है, क्योंकि यहाँ की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों से ही अपना पेट पालती है। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड का एक बड़ा हिस्सा सुदूर जंगलों, पहाड़ियों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन क्षेत्रों में विपणन और परिवहन के आधुनिक साधन नहीं पहुँच पाए हैं, जिससे निजी बाजार यहाँ खाद्यान्न पहुंचाने में विफल रहते हैं। जब बाजार विफल हो जाता है, तब राज्य का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन दुर्गम क्षेत्रों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करे। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, जहाँ मौसम चक्र अनिश्चित हो चुका है, खाद्य सुरक्षा तंत्र ग्रामीण आबादी के लिए एक जीवन-रक्षक तंत्र की तरह आवश्यक है ।

3. पलायन, जनजातीय अस्मिता और मानव अधिकारों का संरक्षण

तीसरा आयाम मानवीय गरिमा, अधिकारों और श्रम के संरक्षण से जुड़ा है। खाद्य असुरक्षा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव के कारण झारखण्ड के लाखों ग्रामीण युवा, महिलाएं और पूरे के पूरे परिवार हर साल ईंट-भट्टों, निर्माण कार्यों और घरेलू कामगारों के रूप में दिल्ली, मुंबई, लेह-लद्दाख और दक्षिणी राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। यह पलायन अक्सर उनके मानवाधिकारों के हनन और शोषण का कारण बनता है **(कुमार एवं राज, 2024)**। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम से कम भोजन की न्यूनतम आवश्यकता की गारंटी दे दी जाए, तो इस संकटपूर्ण पलायन को काफी हद तक रोका जा सकता है। विशेष रूप से, राज्य की अत्यंत पिछड़ी आदिम जनजातियों जैसे कि बिरहोर, कोरवा, सौरिया पहाड़िया आदि की आबादी तेजी से घट रही है या स्थिर हो गई है, जिसका एक बड़ा कारण क्रॉनिक कुपोषण और भुखमरी है। इन अनूठे सांस्कृतिक समूहों की रक्षा करना और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार देना राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा केवल एक आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में सामाजिक न्याय को स्थापित करने और प्रत्येक नागरिक को 'भय और भूख से मुक्ति' दिलाने का एक बुनियादी साधन है।

❖ झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा हेतु किए गए नीतिगत हस्तक्षेप

झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न विधिक, विधायी और कल्याणकारी हस्तक्षेप किए गए हैं। इन नीतिगत प्रयासों को निम्नलिखित विस्तृत वर्गीकरण के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. विधिक हस्तक्षेप: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करने का श्रेय 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को जाता है। इसके तहत राज्य की ग्रामीण आबादी के 86.48 प्रतिशत और शहरी आबादी के 60.20 प्रतिशत हिस्से को (अर्थात कुल आबादी का लगभग 80.21%) कानूनी रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- **अंत्योदय अन्न योजना:** इसके तहत समाज के सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं) उपलब्ध कराया जाता है।
- **पूर्वता प्राप्त गृहस्थ:** इस श्रेणी के परिवारों को प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद से ग्रामीण परिवारों को एक बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है।

2. राज्य सरकार की विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं

झारखण्ड सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सीमाओं को पहचानते हुए अपने संसाधनों से कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदहारण हैं:

- **झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा राशन कार्ड):** इसके तहत लाभार्थियों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य के लाखों गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित रह गए थे। इस कमी को दूर करने के लिए झारखण्ड सरकार ने 2020-21 में इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के लगभग 15 से 20 लाख छूटे हुए गरीब लोगों को हरे रंग का राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से उन्हें राज्य सरकार के कोष से ₹1 प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जा रहा है **(मजुमदार, 2022)**।
- **पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना:** यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (आदिम जनजातियों) के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुई है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को राशन दुकान तक आने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य का खाद्य विभाग स्वयं 35 किलोग्राम चावल की सीलबंद बोरी उनके घरों तक मुफ्त में सीधे पहुंचाता है। इसका उद्देश्य सुदूर जंगलों में रहने वाले इन लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाना है **(सोमंची, 2019)**।
- **मुख्यमंत्री दाल-भात योजना एवं गुरुजी रसोई योजना:** शहरी क्षेत्रों के गरीब श्रमिकों, रिक्शा चालकों, ठेला लगाने वालों और बेघर लोगों के लिए यह योजना अत्यधिक मददगार है। राज्य भर में सैकड़ों दाल-भात केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ मात्र ₹5 में गर्म और ताजा पका हुआ भोजन (दाल, भात और सब्जी) परोसा जाता है। हाल ही में इसके दायरे को बढ़ाते हुए 'गुरुजी रसोई' के नाम से इसे और अधिक स्वच्छ और सुसज्जित बनाया गया है।
- **सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना:** खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ तन ढकने की बुनियादी आवश्यकता को जोड़ते हुए राज्य सरकार राशन कार्ड धारक परिवारों को वर्ष में दो बार मात्र ₹10 में एक धोती/लुंगी और एक साड़ी उपलब्ध करा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

3. संस्थागत और पोषण संबंधी पूरक पहल

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (2)
April - June, 2026

- **मध्यान्ह भोजन योजना:** राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को दोपहर का गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। झारखण्ड सरकार ने बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में कम से कम दो से तीन दिन अंडे या वैकल्पिक रूप से मौसमी फल देने का प्रावधान किया है।
- **एकीकृत बाल विकास सेवा) व आंगनवाड़ी केंद्र:** नवजात शिशुओं, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 'टेक होम राशन' और पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है, जो जीवन के शुरुआती 1000 दिनों में कुपोषण को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **जन वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार:** वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए शत-प्रतिशत राशन दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सेल से जोड़ दिया गया है। आधार सीडिंग के माध्यम से फर्जी और दोहरे राशन कार्डों को हटाया गया है, जिससे लक्षित लाभार्थियों तक ही लाभ पहुंच पा रहा है।

❖ झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

स्थापना के बाद पिछले 25 वर्षों में राज्य के विभिन्न सरकारों ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से दोनों ही स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और किए जा रहें हैं फिर कई चुनौतियाँ है जिसका समाधान आवश्यक है जैसे -

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिसाव, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी:** तकनीकी दावों के बावजूद, झारखण्ड के ग्रामीण इलाकों में पीडीएस डीलरों द्वारा राशन की कालाबाजारी, कम और राशन कार्ड धारकों को हर महीने नियमित रूप से अनाज न देने की शिकायतें आम हैं। 'डीलर-प्रशासन-बिचौलिया' का गठजोड़ आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है, जिससे वास्तविक हकदारों को उनके हिस्से का पूरा खाद्यान्न नहीं मिल पाता।
- **'प्रच्छन्न भूख' और पोषण सुरक्षा का अभाव:** वर्तमान खाद्य सुरक्षा ढांचा मुख्य रूप से केवल 'कैलोरी' की आपूर्ति (चावल और गेहूं) पर केंद्रित है। इसमें प्रोटीन, वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि आयरन, विटामिन-A और आयोडीन की भारी कमी होती है। चूंकि ग्रामीण गरीब भोजन में विविधता नहीं ला पाते, इसलिए वे केवल चावल खाकर अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन उनका शरीर कुपोषित ही रह जाता है। यही कारण है कि अनाज वितरण के बावजूद राज्य में एनीमिया और स्टंटिंग की दर में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है।
- **भंडारण अवसंरचना का घोर अभाव:** झारखण्ड में भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के वैज्ञानिक और सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक साइलो की कमी के कारण मानसून के दौरान हर साल हजारों टन अनाज खुले आसमान के नीचे सड़ जाता है या चूहों और कीड़ों का ग्रास बन जाता है। यह बर्बादी एक तरफ सरकारी खजाने को चूना लगाती है, तो दूसरी तरफ संकट के समय बफर स्टॉक बनाने की क्षमता को सीमित कर देती है।

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (2)
April - June, 2026

- **सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन और कनेक्टिविटी का संकट:** झारखण्ड के पहाड़ी, घने जंगलों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी अत्यंत खराब है। सरकार ने राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। नेटवर्क न होने के कारण वृद्ध, बीमार और अशिक्षित ग्रामीणों को कई-कई दिनों तक राशन की दुकान के चक्कर काटने पड़ते हैं, और कई बार सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। यह तकनीकी निर्भरता कभी-कभी समावेशन के बजाय अपवर्जन का कारण बन जाती है।
- **जागरूकता की कमी, प्रशासनिक सुस्ती और सामाजिक ऑडिट का अभाव:** झारखण्ड की एक बड़ी ग्रामीण और जनजातीय आबादी निरक्षर या कम जागरूक है। उन्हें सरकार द्वारा तय की गई दरों, मात्रा और शिकायत निवारण अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, खाद्य अदालतों और राज्य खाद्य आयोग की सक्रियता जिला स्तर पर बहुत कम है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती।

❖ झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ के समाधान एवं नीति सम्बन्धी सुधार हेतु सुझाव

झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा को वास्तविक और पोषण-युक्त बनाने के लिए सबसे पहला और क्रांतिकारी कदम सार्वजनिक वितरण की प्रक्रिया का विविधीकरण होना चाहिए। केवल चावल और गेहूं बांटने की नीति को बदलकर इसमें अनिवार्य रूप से दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक और स्थानीय मोटे अनाजों जैसे- मडुआ (रागी), बाजरा, और ज्वार को शामिल किया जाना चाहिए। मडुआ झारखण्ड की मिट्टी और जलवायु के लिए सर्वोत्तम फसल है, जो कम पानी में भी उग जाती है और इसमें कैल्शियम, आयरन व फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राज्य सरकार को स्थानीय किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मडुआ और अन्य मोटे अनाजों की सीधी खरीद करनी चाहिए और उसे उसी क्षेत्र के राशन दुकानों के माध्यम से वितरित करना चाहिए। इससे दोहरे फायदे होंगे: पहला, स्थानीय किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा जिससे उनकी ग्रामीण आय बढ़ेगी; दूसरा, बच्चों और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही अत्यधिक पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा, जो कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में एक अचूक हथियार साबित होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से संबंधित है। सरकार को प्रत्येक ब्लॉक और बड़ी पंचायतों के स्तर पर 'विकेंद्रीकृत गोदामों' और मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहिए, ताकि अनाज को लंबी दूरी तक परिवहन करने की आवश्यकता न हो और स्थानीय स्तर पर आपातकालीन बफर स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त, सुदूरवर्ती और नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की नीति में मानवीय और व्यावहारिक ढील दी जानी चाहिए। यदि किसी वृद्ध या बीमार व्यक्ति के फिंगरप्रिंट घिस जाने के कारण मैच नहीं हो रहे हैं, तो 'वन टाइम पासवर्ड' या स्थानीय ग्राम प्रधान/मुखिया के सत्यापन के आधार पर राशन देने का वैकल्पिक 'ऑफलाइन'

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

ISSN: 3108-0766 (Online)
Volume (2), Issue (2)
April - June, 2026

प्रावधान सुचारू रूप से काम करना चाहिए। तकनीक को नागरिकों की सुविधा का माध्यम होना चाहिए, न कि उनके अधिकारों के हनन का कारण।

तीसरा और सबसे प्रभावी सुझाव खाद्य सुरक्षा तंत्र के लोकतांत्रिकरण और सामुदायिक नियंत्रण से जुड़ा है। वर्तमान में राशन दुकानों का संचालन निजी डीलरों द्वारा किया जाता है, जहाँ लाभ कमाने की प्रवृत्ति के कारण भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। इसके स्थान पर, राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेते हुए सभी राशन दुकानों का लाइसेंस क्रमिक रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण सहकारी समितियों या ग्राम पंचायतों को सौंप देना चाहिए। महिलाएं परिवार की पोषण आवश्यकताओं को बेहतर समझती हैं और सामूहिक संचालन के कारण वित्तीय अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इसके साथ ही, 'झारखण्ड सामाजिक अंकेक्षण इकाई' के माध्यम से हर छह महीने में प्रत्येक पंचायत में राशन वितरण का अनिवार्य 'सोशल ऑडिट' (सामाजिक अंकेक्षण) कराया जाना चाहिए, जहाँ ग्राम सभा के सामने डीलर को अपनी स्टॉक पंजी और वितरण का ब्यौरा देना पड़े। जनता की सीधी निगरानी ही इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बना सकती है।

❖ निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि झारखण्ड जैसे सामाजिक और भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में खाद्य सुरक्षा केवल एक आर्थिक कल्याण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों के संरक्षण, सामाजिक न्याय की स्थापना और राज्य के सतत आर्थिक विकास की अनिवार्य पूर्व-शर्त है। राज्य गठन के बाद से पिछले ढाई दशकों में, झारखण्ड ने विधिक और नीतिगत स्तर पर कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य सरकार की संवेदनशीलता के कारण, आज राज्य का कोई भी नागरिक चाहे वह सुदूर जंगलों में हो या शहरी मलिन बस्तियों में, पूरी तरह से उपेक्षित नहीं है। 'हरा राशन कार्ड' और 'डाकिया योजना' जैसी पहलों ने यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो राज्य के अंतिम व्यक्ति तक प्रशासनिक तंत्र पहुँच सकता है।

तथापि, समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य की सफलता अभी तक केवल 'भूख प्रबंधन' तक ही सीमित रही है, हम अभी तक वास्तविक 'पोषण सुरक्षा' के लक्ष्य से काफी दूर हैं। चावल-आधारित वितरण प्रणाली ने लोगों के पेट की आग को तो शांत किया है, लेकिन उनके शरीरों को भीतर से खोखला कर रही एनीमिया और स्टंटिंग की बीमारी पर यह नीति पूरी तरह बेअसर रही है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अवसंरचनात्मक कमियाँ, और तकनीकी जटिलताओं के कारण होने वाला अपवर्जन आज भी इस व्यवस्था के सबसे कमजोर पहलू हैं।

भविष्य की राह इस बात पर निर्भर करती है कि झारखण्ड सरकार कितनी जल्दी अपनी खाद्य नीतियों में संरचनात्मक बदलाव लाती है। हमें 'कैलोरी-सुरक्षा' के संकीर्ण दृष्टिकोण से बाहर निकलकर 'पोषण-सुरक्षा' के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। इसके लिए कृषि नीति, जल प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक 'एकीकृत दृष्टिकोण' स्थापित करना होगा। स्थानीय स्तर पर मोटे अनाजों के उत्पादन और खरीद को बढ़ावा देकर, वितरण तंत्र की कमान महिलाओं और

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved

पंचायतों के हाथों में सौंपकर, और तकनीकी प्रणालियों को अधिक लचीला व मानवीय बनाकर ही झारखण्ड भुखमरी और कुपोषण के कलंक को पूरी तरह मिटा सकता है। जब तक समाज के सबसे लाचार और पिछड़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक, पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक 'आर्थिक महाशक्ति' या 'विकसित झारखण्ड ' का कोई भी दावा अधूरा ही रहेगा। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना ही झारखण्ड के उज्ज्वल भविष्य का एकमात्र मार्ग है।

संदर्भ सूची

1. कुमार, एस., एवं राज, ए. (2024). ट्रेंड एंड पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम झारखंड, इंडिया. *ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज रिव्यूज*, 12(2), 8–15.
2. कुमार, डी., एवं बनिक, पी. (2020). पैराडॉक्स ऑफ रिच लैंड एंड पुअर पीपल: अ स्टडी ऑफ झारखंड. *पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस*, 8(1), 60–78.
3. गुप्ता, जिमी. (2026). मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन झारखंड: अ डिस्ट्रिक्ट-वाइज एनालिसिस बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा. *इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल (IERJ)*, 12(03). doi: 10.5281/zenodo.19230655.
4. घोष, एस., श्रीवास्तव, एस. के., नायक, ए. के., पांडा, डी. के., नंदा, पी., एवं कुमार, ए. (2014). व्हाई इम्पैक्ट्स ऑफ इरिगेशन ऑन एग्रेरियन डायनामिज्म एंड लाइवलीहुड्स आर कॉन्ट्रास्टिंग: एविडेंस फ्रॉम ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स. *इरिगेशन एंड ड्रेनेज*, 63(5), 573–583.
5. चटर्जी, डी. (1996). ट्राइबल्स इन इंडिया: डीपनिंग आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इंडिया'ज़ सिक्योरिटी. *जादवपुर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस*, 2(1), 101–118.
6. दास, ए. एन. (1998). झारखंड अबॉर्टेड वन्स अगेन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 2827–2829.
7. मजूमदार, एन. (2022). न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मैरिड ट्राइबल वुमेन इन झारखंड, इंडिया. *इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज*, 29(1), 76–97.
8. सिंह, यू. (2020). एग्रीकल्चरल सेक्टर इन झारखंड: एन ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च*, आईएसएसएन: 2455–8834.
9. सोमांची, ए. (2019). फूड एंड सोशल सिक्योरिटी एट द मार्जिन्स: द परहैयाज ऑफ झारखंड. *एसएसआरएन*, 3540956.

****

Copyright © IIJMR 2026, All rights reserved